

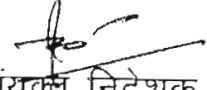
कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक - एफ 6(6)/एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक 25.04.2012 के प्रावधानान्तर्गत मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ की अनुशंसा के आधार पर श्री सुनिल चारण, व्याख्याता हिन्दी राउमावि, सतासर - जिला श्रीडूंगरगढ़ को दिनांक 13.05.2022 से उनके मूल वेतन का छः प्रतिशत (6 प्रतिशत) किन्तु जो 1200/- (बारह सौ रुपये) प्रतिमाह से अधिक ना हो, मासिक दिव्यांग वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाता है।

इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों को उपभोग करने की अवधि का ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलम्बन अवधि का दिव्यांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।




संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/दिव्यांग भत्ता/2020/362 दिनांक :- 21/06/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) बीकानेर
02. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, बीकानेर
03. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर
04. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु
05. प्रधानाचार्य, राउमावि, सतासर, श्रीडूंगरगढ़ बीकानेर को श्री सुनिल चारण, व्या. हिन्दी की मूल मय विकलांग प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है (रजिस्टर्ड)
06. श्री सुनिल चारण, व्याख्याता हिन्दी, राउमावि, सतासर, श्रीडूंगरगढ़, बीकानेर
07. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर